न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS .

राजस्व मूल वाद संख्याः– 10/2024

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
01.बस्ताराम पुत्र प्रभुराम जाति पटेल 02.ओमप्रकाश पुत्र बस्ताराम जाति पटेल 03.मधुदेवी पत्नि बस्ताराम जाति पटेल निवासीगण गाव धुन्धाडा तहसील लूणी जोधपुर।		01.बस्तीराम पुत्र मूलचन्द्र जाति महाजन 02.बाबूलाल पुत्र मूलचन्द्र जाति महाजन 03.बीजराम पुत्र मूलचन्द्र जाति महाजन 04.वीरेन्द्र पुत्र मूलचन्द्र जाति महाजन 05.शान्तिलाल पुत्र मूलचन्द्र जाति महाजन 06.भीखी देवी पत्नि मुलचन्द जाति महाजन 07.प्यारी देवी पत्नी रणछोडराम जाति पटेल 08.मानाराम पुत्र हिमताराम जाति राईका 09.सोनी देवी पत्नि शंकरराम जाति पटेल निवासीगण गाव धुन्धाडा तहसील लूणी जोधपुर। 10.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

वाद अन्तर्गत धारा ,53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –

01.वादी की और से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति उपस्थित

02.प्रतिवादीगण की और से सुचना के बावजूद उपस्थित नही।

आदेश दिनाक 24/04/2024

वादी का वाद अन्तर्गत धारा .53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्राथमिक डिकी दिनांक 01.04.2024 को किया गया एव तहसीलदार लूणी को बटवाड प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिकी पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 12.04.2024 को पेश किया।

वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 308 रकबा 22.1444 हैक्टर एव खसरा नम्बर 928/758 रकबा 9.8739 हैक्टर ग्राम रामगढ पटवार हल्का धुन्धाडा तहसील लूणी वादीगण एव प्रतिवादीगण का नाम सयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 12.04.2024 मय मौका फर्द दिनाक 09.04.2024 को पेश की गई जिसके आधार पर वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो सलग्न पत्रावली है इसके अनुसार। राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसारः

क,स	खातेदार विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर मे	किस्म
01	बस्ताराम पुत्र प्रभूराम का हिस्सा 1/3 जाति पटेल सा,देह,खातेदार मधुदेवी पत्नि बस्ताराम का हिस्सा 1/2 जाति पटेल सा,देह, खातेदार ओमप्रकाश पुत्र बस्ताराम का हिस्सा 1/6 जाति पटेल सा,देह, खातेदार	308	16.0089	बारानी तृतीय

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

02	प्यारी देवी पत्नि रणछोडराम जाति पटेल सा,देह, खातेदार	308	2.6681	बारानी तृतीय
03	सोनी देवी पत्नि शंकरराम जाति पटेल सा,देह,खातेदार	308	2.6681	बारानी तृतीय
04	मानाराम पुत्र हिमताराम जाति राईका सा,देह,खातेदार	928 / 758	2.6681	बारानी तृतीय
05	ओमप्रकाश पुत्र बस्ताराम जाति पटेल सा,देह,खातेदार	928 / 758	0.9793	बारानी तृतीय
06	बस्तीमल पुत्र मूलचन्द का हिस्सा 12088 / 86800 जाति महाजन सा,देह,खातेदार बाबूलाल पुत्र मूलचन्द का हिस्सा 28570 / 86800 जाति महाजन सा,देह, खातेदार बीजराज पुत्र मूलचन्द का हिस्सा 12088 / 86800 जाति महाजन सा,देह,खातेदार भीखी बाई पत्नि मूलचन्द का हिस्सा 5485 / 86800 जाति महाजन सा,देह,खातेदार वीरेन्द्र पुत्र मूलचन्द का हिस्सा 16481 / 86800 जाति महाजन सा,देह,खातेदार शान्तीलाल पुत्र मूलचन्द का हिस्सा 12088 / 86800 जाति महाजन सा,देह,खातेदार	308 928 / 758	0.7993 6.2265	बारानी तृतीय बारानी तृतीय

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकाराण सहखातेदार होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिकी पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाड प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 09.04.2024 के अनुसार विभाजन कर वादीगण एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। बटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनाक 09.04.2024 डिकी का अभिन्न अग समझा जावे डिकी पर्चा जारी हो तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी, लूणी

(पुखराज कांसोटिया) RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 10/2024

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
01.वस्ताराम पुत्र प्रभुराम जाति पटेल 02.ओमप्रकाश पुत्र बस्ताराम जाति पटेल 03.मधुदेवी पत्नि बस्ताराम जाति पटेल निवासीगण गाव धुन्धाडा तहसील लूणी जोधपुर।		01.बस्तीराम पुत्र मूलचन्द्र जाति महाजन 02.बाबूलाल पुत्र मूलचन्द्र जाति महाजन 03.बीजराम पुत्र मूलचन्द्र जाति महाजन 04.वीरेन्द्र पुत्र मूलचन्द्र जाति महाजन 05.शान्तिलाल पुत्र मूलचन्द्र जाति महाजन 06.भीखी देवी पत्नि मुलचन्द जाति महाजन 07.प्यारी देवी पत्नी रणछोडराम जाति पटेल 08.मानाराम पुत्र हिमताराम जाति राईका 09.सोनी देवी पत्नि शंकरराम जाति पटेल निवासीगण गाव धुन्धाडा तहसील लूणी जोधपुर। 10.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

दावा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 10/2024 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्वायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादीगण का वाद बटवाडा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनाक 09.04.2024 अनुसार स्वीकार किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से अलग अलग दर्ज किये जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्दाज किये जाने हेतु तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है।

नीज..मुबलिक...................................बाबत....................................खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह...फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक...................
..................................को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 24/04/2024 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

मुद्धाई	रूपया	पै.	मुद्वायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी